संख्या-3/2019/144/18-2-2019-19(ल0उ0)/2017

प्रेषक

भुवनेश कुमार
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक: 29 मार्च, 2019

विषयः- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्तों में परिवर्द्धन के संबंध में ।

महोदय,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2017 के प्रस्तर-7.10.1 के अन्तर्गत प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय दस्तकारों तथा पारम्परिक कारीगरों के विकास हेतु "विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना" संचालित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-34/2018/997/18-2-2018-19(ल0उ0)/2017, दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 के अंत में उपप्रस्तर-घ के रूप में निम्नवत प्रावधान जोड़े जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

''योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय का भी प्राविधान होगा, जिसके अंतर्गत जनपदों, मण्डलों एवं राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, टूलकिट वितरण कार्यक्रम, स्टेशनरी, मोबिलिटी एवं योजना के प्रचार-प्रसार व अन्य विविध मदों पर होने वाले व्ययों का वहन किया जायेगा। इस प्रशासनिक व्यय का आंकलन उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा उस वित्तीय वर्ष में सम्भावित उपरोक्त प्रकृति के कार्यों के आधार पर किया जायेगा तथा मूल बजट अवमुक्त किये जाने के प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जायेगा।''

2- शासनादेश शासनादेश संख्या-34/2018/997/18-2-2018-19(ल0उ0)/2017, दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शासनादेश में उल्लिखित अन्य नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय

भुवनेश कुमार
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-3/2019/144(1)/18-2-2019- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0/ समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3- समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी/उपायुक्त, उद्योग उ0प्र0।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6

5- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3/2 (गार्ड फाइल)।

आज्ञा से

पन्ना लाल
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।